पूर्वोत्तर सीमांत रेल

(निर्माण)

महाप्रबंधक (कार्मिक)/नि
का कार्यालय
मालीगांव, गुवाहाटी-781011, असम

पुनर्नियोजन **अधिसूचना**

नं. ई/283/नि/राजपत्रित/पुनः नियुक्ति **दिनांक: 05/03/2026**

सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में संविदा आधार पर पुनर्नियोजन के संबंध में अधिसूचना

अनुसूची		
(i)	अधिसूचना प्रकाशन की तिथि	**06.03.2026**
(iii)	आवेदन की अंतिम तिथि	**26.03.2026**

1. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या **2024/E(GR)I/38/1 दिनांक 29.08.2024 एवं 08.11.2024** के अनुसार, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के निर्माण संगठन में सेवा की आवश्यकता के अनुसार **सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों** से सलाहकार के रूप में **निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन** हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं,जो पात्रता की निम्नलिखित शर्त को पूरा करते हैं:-
   - (i) आयु: 01.08.2025 को अधिकतम आयु **65 वर्ष से कम** होनी चाहिए।
   - (ii) पे लेवल (रिटायरमेंट पर): सिर्फ़ JTS (लेवल-10) और ग्रुप-B (लेवल-8 और लेवल-9) से सेवानिवृत्त।
   - (iii) महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि वे **JTS (लेवल-10), STS (लेवल-11) और JAG (लेवल-12)** से सेवानिवृत्त अधिकारियों को खाली पदों के विरुद्ध पुनर्नियोजित कर सकें।
   - (iv) ग्रुप-B (लेवल-8 और लेवल-9) से रिटायर हुए अधिकारियों को सिर्फ़ ग्रुप-B (लेवल-8 और लेवल9) में खाली पोस्ट के लिए कंसल्टेंट के तौर पर रखा जा सकता है।
   - (v) लेवल-13 से रिटायर हुए अधिकारी को JAG (लेवल-12) में खाली पोस्ट पर कंसल्टेंट के तौर पर फिर से रखा जा सकता है।
2. सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को इन विभागों में फिर से काम पर रखने का प्रस्ताव है:-
   - (i) इंजीनियरिंग
3. विभागवार रिक्तियां नीचे दी गई हैं:-

एस.एन.	**विभाग**	**कुल रिक्तियों की संख्या**	
		वर्ग	**कुल रिक्तियों की संख्या**
1	इंजीनियरिंग	जे ए जी	2
2		एसएस	4
		कुल	**6**
		पात्रता	**(लेवल-12 और 11) से सेवानिवृत्त**

4. री-एंगेजमेंट के नियम और शर्तें अनुलग्नक-क **में दिए गए हैं।**
5. **आवेदन का फ़ॉर्मेट अनुलग्नक-ख के तौर पर दिया गया है ।**

नोट: इस स्कीम की वैधता केवल 31.12.2026 तक रहेगी।

संलग्नक:
- (i) नियम एवं शर्तें (अनुलग्नक-क)
- (ii) निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-ख)।

5.3.'26.

(टी.एस. मैस)
व.कार्मिक अधिकारी/नि.
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/नि.

अनुलग्नक-क

<u>पुनर्नियोजन निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होगा:</u>

1. महाप्रबंधकों को यह अधिकार होगा कि वे JTS, STS एवं JAG स्तर से सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों, जो JTS (लेवल-10), STS (लेवल-11) और JAG (लेवल-12) से सेवानिवृत्त हुए हैं, को JTS (लेवल-10) एवं STS (लेवल-11) के रिक्त पदों के विरुद्ध पुनर्नियोजित कर सकें।

2. पारिश्रमिक:निश्चित मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा, अर्थात् अंतिम मूल वेतन में से मूल पेंशन घटाकर। यह पारिश्रमिक अनुबंध की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। अनुबंध अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि तथा महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।(पारिश्रमिक निर्धारण का उदाहरण DoE के OM संख्या F.No.3-25/2020-E.III A दिनांक 09.12.2020 में दिया गया है।)

3. सलाहकार के रूप में पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त अधिकारियों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां उनके पुनर्नियोजन के समय सूचित की जाएंगी।

4. पुनर्नियोजन से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी की उपयुक्तता/योग्यता का मूल्यांकन पिछले पाँच APAR के आधार पर DPC के स्थापित मानकों के अनुसार किया जाएगा। यह मूल्यांकन महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त PHODs/CHODs की तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। पुनर्नियोजन के समय संबंधित श्रेणी की चिकित्सीय फिटनेस भी निर्धारित प्राधिकरण से प्राप्त की जाएगी।

5. नियोजन की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष की होगी और आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को योजना की वैधता से आगे, अर्थात् 31.12.2026 के बाद पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा।

6. पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

7. सलाहकार के रूप में पुनर्नियोजन को पुनर्नियुक्ति (Re-employment) का मामला नहीं माना जाएगा।

8. अवकाश प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के लिए 1.5 दिन का सवेतन अवकाश दिया जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश का संचय या आगे ले जाना अनुमन्य नहीं होगा। अनुबंध समाप्ति/समाप्ति के समय अप्रयुक्त अवकाश के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

9.सलाहकार को HRA और आवासीय सुविधा नहीं दी जाएगी। हालांकि, निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के लिए परिवहन भत्ता दिया जा सकता है, जो सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगा। यह राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।आधिकारिक यात्रा की स्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति के समय की पात्रता के अनुसार TA/DA दिया जा सकता है।

10. पदनाम "Consultant" के साथ विभाग/ट्रेड का नाम होगा।उदाहरण: ADEN पद के विरुद्ध नियुक्त अधिकारी को Consultant (Engg.) कहा जाएगा।

11. सलाहकारों को निरीक्षण, पर्यवेक्षण, ड्राइंग आदि कार्यों से संबंधित जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

12. सलाहकारों को किसी भी डिवीजन में ब्रांच ऑफिसर की तरह इकाइयों का प्रभारी नहीं बनाया जाएगा और न ही किसी निर्माण इकाई का स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। उन्हें वित्तीय एवं D&AR अधिकार नहीं दिए जाएंगे और न ही उन्हें कोई सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा। हालांकि वे वित्तीय एवं अन्य मामलों पर नियमित अधिकारी को सुझाव दे सकते हैं।

13. सलाहकार अपने कार्यकाल के दौरान संगठन से संबंधित प्राप्त किसी भी जानकारी को किसी अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें भारत सरकार के साथ गोपनीयता समझौता (Agreement of Confidentiality) करना होगा, जिसमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रावधान होंगे।

14 यदि UPSC या विभागीय चयन के माध्यम से चयनित उम्मीदवार नियुक्त हो जाता है, तो संबंधित PHOD/CHOD की सिफारिश पर पुनर्नियोजित अधिकारी की सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

अनुलग्नक-ख

हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाएँ

सेवा में,

महाप्रबंधक(कार्मिक)/निर्माण
एनएफ रेलवे, मालीगांव।

विषय: **सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए आवेदन।**

संदर्भ: (i) रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2024/E(GR)I/38/1 दिनांक 29.08.2024 और 08.11.2024

(ii) जी.एम.(पी)/कॉन/एम.एल.जी. की अधिसूचना संख्या ई/283/कॉन/राजपत्रित /पुनर्नियुक्ति, दिनांक: 05.03.2026

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं कंसल्टेंट के पद के लिए अपना आवेदन (एप्लीकेशन) जमा करता/करती हूँ। मेरे विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:-

1.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में):	
2.	अंतिम पदनाम:	
3.	पिछला ऑफिस/यूनिट/डिवीजन:	
4.	विभाग:	
5.	जन्म तिथि:	
6.	रिटायरमेंट की तारीख:	
7.	समुदाय (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी)	
8.	PPO नंबर (PPO की कॉपी साथ में लगानी होगी)	
9.	कंसल्टेंट के तौर पर फिर से काम पर रखने के लिए डिवीज़न/यूनिट का चुनाव (पसंद के क्रम में)	1st
		2nd
		3rd
		4th
		5th
		6th
		7th
		8th
		9th
10.	आधार कार्ड नंबर:	
11।	मोबाइल नंबर :	
12.	मेल पता:	
13.	डाक:	

घोषणा: मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे विश्वास और जानकारी के अनुसार सही है। मैं ऊपर बताए गए GM(P)/Con/MLG के नोटिफिकेशन में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार कंसल्टेंट के तौर पर फिर से काम करने के लिए सहमत हूँ।

नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपके देखने और विचार के लिए जमा किए गए हैं।

(i) पिछले PPO की कॉपी

(ii) SC/ST/OBC सर्टिफिकेट की कॉपी (अगर लागू हो)।

(iii) आधार कार्ड, हाल का पासपोर्ट साइज़ फोटो

(iv) ज़ेरॉक्स बैंक पासबुक, सर्विस सर्टिफ़िकेट, पेंशन ID

जगह :

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम: